02.11.2015 के अनुसार संशोधित

स्वच्छ भारत कोष के संचालन के लिए दिशानिर्देश

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** इनका नाम स्वच्छ भारत कोष के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2014 होगा और ये तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

2. **कोष की स्थापना का उद्देश्य:**

व्यक्तियों और लोकोपकारियों ने वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का उद्देश्य प्राप्त करने के प्रयासों में अपना अंशदान देने की रुचि व्यक्त की है। स्वच्छ भारत कोष की स्थापना इस उद्देश्य के लिए लोकोपकारी अंशदान और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियां जुटाने में मदद करने के लिए की गई है।

3. **शासी परिषद:**

स्वच्छ भारत कोष (जिसे इसमें आगे कोष कहा गया है) का संचालन एक शासी परिषद द्वारा किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता सचिव, व्यय विभाग करेंगे। सचिव (योजना), सचिव (पेयजल और स्वच्छता), सचिव (शहरी विकास), सचिव (आवास और शहरी गरीबी उपशमन), सचिव (ग्रामीण विकास), सचिव (पंचायती राज) और सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) इसके अन्य स्थायी सदस्य होंगे। जब भी पर्यटन, संस्कृति अथवा किसी अन्य विभाग के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, उनके सचिवों को आमंत्रित किया जाएगा।

4. **सचिवालय:**

शासी परिषद की सहायता के लिए एक प्रभाग होगा जिसकी स्थापना व्यय विभाग में की जाएगी जो इसके सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और संयुक्त सचिव स्तर का प्रशासक इसका प्रमुख होगा।

5. **बैंक खाता और अंशदान की प्राप्ति :**

क) कंपनियों और लोकोपकारियों से अंशदान भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय सचिवालय शाखा, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में खोले गए एक बैंक खाते में प्राप्त किए जाएंगे। यह बैंक खाता, प्रशासक और मुख्य लेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

ख) इस कोष में दान, नेट बैंकिंग अथवा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके अथवा चेक/डिमांड ड्राफ्ट से दिया जा सकता है।

ग) दाता को अंशदान की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त स्वत: तैयार रसीद प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, अंशदान प्राप्त होने के संबंध में पावती की निम्नलिखित विधियां भी अपनाई जाएंगी:-

अंशदाता	**अंशदान (लाख रुपए में)***	**पावती का स्तर***
कंपनियां		
1	10 करोड़ रुपए से अधिक	सचिव, व्यय
2	1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक	प्रशासक, स्वच्छ भारत कोष
व्यक्ति		
1	1 करोड़ रुपए से अधिक	सचिव, व्यय
2	10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक	प्रशासक, स्वच्छ भारत कोष

*स्वच्छ भारत कोष न्यास की शासी परिषद की 22.09.2015 को हुई दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संशोधित

घ) यद्यपि इस कोष में जमा राशि का उसके उद्देश्य के लिए इष्टतम उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे, फिर भी अस्थायी रूप से अप्रयुक्त राशि का शासी परिषद के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है। इस प्रकार अर्जित ब्याज को वापस इस कोष में जमा किया जाएगा और उसका उपयोग उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

6. **स्वीकार्य कार्य:**

इस कोष का उपयोग, विद्यालयों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई के स्तर में सुधार का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। अभिनव/विशिष्ट परियोजनाएं शुरु करने के लिए भी इसे सक्षम बनाया जा सकता है और शुरुआत में बालिकाओं के लिए शौचालय इसका प्राथमिक क्षेत्र होगा। निम्नलिखित प्रमुख कार्य इस कोष से वित्तपोषित किए जाएंगे:- :

क) ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में, आंगनवाड़ियों (वे केन्द्र जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना के तहत छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को और उनकी माताओं को सहायता प्रदान करते हैं) में सामुदायिक/अलग-अलग शौचालयों का निर्माण;

(ख) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक राजकीय विद्यालयों, आंगनवाड़ियों में खराब पड़े सामुदायिक/अलग-अलग शौचालयों का नवीकरण और मरम्मत;

(ग) निर्मित शौचालयों में जलापूर्ति के लिए निर्माण कार्य;

(घ) निर्मित शौचालयों के अनुरक्षण में सहायता के लिए और स्वच्छता संबंधी शिक्षा के साथ इसे जोड़ा जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास;

(ङ) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई में सुधार के अन्य प्रयास।

(च) देश में साफ-सफाई में सुधार लाने के लिए शासी परिषद् द्वारा यथा-निर्णीत कोई अन्य कार्य।

7. परियोजनाओं का प्रस्ताव करनाः

संबंधित मंत्रालय उपर्युक्त कार्यों से संबंधित परियोजनाओं के प्रस्ताव शासी परिषद को देंगे। राज्य भी संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से कोष से धनराशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोष से आबंटन का उपयोग, उपर्युक्त कार्यों के लिए विभागीय संसाधनों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तथापि, संबंधित मंत्रालय 10 करोड़ रुपए से अधिक का अंशदान देने वाले दाताओं से परिसंपत्तियों के सृजन के संबंध में मिलने वाले विशिष्ट सुझावों पर विचार कर सकते हैं यदि वे इन दिशानिर्देशों के अन्यथा प्रतिकूल न हों।

8. अनुमोदन और धनराशि का जारी किया जानाः

शासी परिषद संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं/कार्यों के वित्तपोषण के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार या उससे पहले यदि आवश्यक हो, बैठक करेगी। शासी परिषद मानदंडों के आधार पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करेगी। ये मापदंड परिषद द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाने हैं।

9. कार्यान्वयनः

क) इन परियोजनाओं/कार्यों का कार्यान्वयन राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन के लिए पहले से विद्यमान संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। किसी नई संस्था की स्थापना नहीं की जाएगी।

ख) परियोजनाओं की लागत का निर्धारण, केन्द्र द्वारा प्रायोजित इसी प्रकार की स्कीमों के प्रचलित लागत मानदंडों से निर्देशित होगा। इस कोष से वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के लागत प्राक्कलनों के निर्धारण में इनका उपयोग किया जाएगा।

10. निगरानीः

क) परियोजनाओं से प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय, कोष से प्राप्त धनराशि के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा शासी परिषद और वित्त मंत्री को एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रदान करेंगे।

ख) इस कोष से शुरू किए गए कार्यों की प्रगति की वित्त मंत्री द्वारा तिमाही आधार पर और प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

ग) मंत्रालय यह सुनिश्चित करेंगे कि कोष से शुरू की गई परियोजनाएं/कार्य दोरहाए न जाएं।

11. लेखाकंन और लेखापरीक्षाः

वित्तीय जबावदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा **प्रत्येक 6 माह**** में एक बार आंतरिक लेखापरीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक बोर्ड में से एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष सांविधिक लेखापरीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट और टिप्पणियां केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई जाएंगी।

मुख्य लेखानियंत्रक (वित्त) आय और भुगतान सहित पूरा हिसाब रखेंगे।

12. सूचना और वेब पोर्टलः

प्राय: पूछे जाने वाले प्रासंगिक प्रश्नों के साथ-साथ कोष के सभी कार्यों से संबंधित सूचना वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। प्रशासनिक मंत्रालय कार्यान्वयन और इस कोष के तहत कार्यों के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई धनराशि के उपयोग से संबंधित आरटीआई या अन्य प्रश्नों का जवाब देगा।

13. दिशानिर्देशों में संशोधनः

कोष के संचालन के अनुभव का आकलन करने के पश्चात् शासी परिषद, अपने उल्लिखित उद्देश्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री के अनुमोदन हेतु दिशानिर्देशों में आवश्यकतानुसार संशोधन की सिफारिश कर सकता है।

**स्वच्छ भारत कोष न्यास की शासी परिषद की 22.09.2015 को हुई दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संशोधित